

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्र./शिक्षक शिक्षा/30-1 डी.एल.एड./प्रवेश/2017-18/3263 रायपुर दिनांक 11.06.17

डी.एल.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम 2017 की सूचना

राज्य के एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त एवं छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सम्बद्धता प्राप्त डाइट/बी.टी.आई/अनुदान प्राप्त अशासकीय बी.टी.आई. व गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थानों में संचालित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम 2017-18 में प्रवेश प्री.डी.एल.एड.परीक्षा 2017 की प्रावीण्य सूची के आधार पर ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाना है।

1.ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम (डी.एल.एड.)

क्र.	विवरण	दिनांक से	दिनांक तक
प्रथम चरण			
1	प्रथम चरण विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा करने की तिथि।	20.06.2017	27.06.2017
2	दावा आपत्ति के लिए प्रथम चरण की आबंटन सूची जारी करना।	28.06.2017	30.06.2017
3	प्रथम चरण की आबंटन सूची जारी करना।	30.06.2017	
4	प्रथम चरण में आबंटित छात्रों द्वारा महावि. में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	01.07.2017	07.07.2017
5	रिक्त सीटों की जानकारी	08.07.2017	
द्वितीय चरण			
6	द्वितीय चरण विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा करने की तिथि।	08.07.2017	14.07.2017
7	दावा आपत्ति के लिए प्रथम चरण की आबंटन सूची जारी करना।	15.07.2017	18.07.2017
8	द्वितीय चरण की आबंटन सूची जारी करना।	18.07.2017	
9	द्वितीय चरण में आबंटित छात्रों द्वारा महावि. में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	18.07.2017	24.07.2017
10	रिक्त सीटों की जानकारी	25.07.2017	
तृतीय चरण			
11	तृतीय चरण विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा करने की तिथि।	25.07.2017	31.07.2017
12	दावा आपत्ति के लिए तृतीय चरण की आबंटन सूची जारी करना।	01.08.2017	03.08.2017
13	तृतीय चरण की आबंटन सूची जारी करना।	04.08.2017	
14	तृतीय चरण में आबंटित छात्रों द्वारा महावि. में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	04.08.2017	10.08.2017
15	रिक्त सीटों की जानकारी	11.08.2017	

नोट :-

1. एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर में आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण के साथ उपस्थित होकर करने पर ही दावा आपत्ति स्वीकार किये जायेगे।
2. आबंटन प्रक्रिया सीटों की रिक्तता, ओवर आल रैंक तथा अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर किया जाता है। इस कारण आबंटन प्रक्रिया में सम्मिलित होने मात्र से सीटों के लिए अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकते।

72

2. आवश्यक दिशा निर्देश –

आबंटन प्रक्रिया हेतु संक्षिप्त आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं—

2.1. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता :-

- I. डी.एल.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्तर (हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा) में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को डी.एल.एड. प्रवेश नियम के अनुसार अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा।

2.2. ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होगी :-

- I. प्री. डी.एल.एड. परीक्षा 2017 की अंकसूची।
- II. अर्हकारी परीक्षा— हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट (10+2) परीक्षा की अंकसूची।
- III. जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या सक्षम अधिकृत प्राधिकारी/संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- IV. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
- V. छ.ग. डी.एड. प्रवेश नियम 2007 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र।

3. ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :-

ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) जहां पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर किसी सायबर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर पर कर सकते हैं। कम्प्यूटर सिस्टम में Internet Explorer 6 अथवा उससे उच्च क्षमता वाले ब्राउजर का होना आवश्यक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये। 10+2 की अंकसूची (प्राप्तांकों के भरने के लिये) प्री.डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा 2017 की अंकसूची (रोल नंबर प्रविष्टि के लिये) संस्थाओं एवं वहाँ संचालित पाठ्यक्रमों की सूची वेबसाइट के होम पेज पर भी दी रहेगी।

3.1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिय आपको निम्न चरण (steps) करने होंगे।

1. सबसे पहले उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> अथवा <http://oasis.mkcl.org> cgdeled2017 में जायें। इसके होम पेज पर कई जानकारियाँ दी गई है। जैसे :- समस्त संस्थाओं की सूची पिछले वर्ष का कट-ऑफ रैंकिंग, पिछले वर्ष की संस्थावार भरे एवं रिक्त सीट, संस्थाओं की फीस की जानकारी एवं काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी आदि। इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें।

2. इसके पश्चात स्क्रीन के बायें तरफ के मेनु (New Registration) को क्लिक करें एवं दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। फिर (Proceed) बटन में क्लिक करें। दिये गये नियम एवं शर्तों (Terms & Conditions) को ध्यान से पढ़ें यदि ये शर्तें आपको मान्य हैं तो (Accept) बटन पर क्लिक करें। (Reject) करने पर आप प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। यदि आपने त्रुटिवश (Reject) कर दिया है तो पुनः (New Registration) में जाकर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
3. इसके पश्चात् अपना प्री.डी.एल.एड. परीक्षा 2017 का रोल नंबर (Roll No.), जन्मतिथि (DOB) एन्टर करें। आपको अपना Password डालने के लिए कहा जायेगा। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी Password जिसे आप आसानी से याद रख सकें, यहां एंटर करें पासवर्ड 06 digit का होना चाहिये एवं यह शब्दों या अंकों अथवा दोनों के मेल से बनया जा सकता है पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिए पुनः दोबारा भरे जाने के लिये कहा जायेगा। इसके पश्चात Save & Proceed करें। अगले स्क्रीन पर आपको अपना लॉगईन आई.डी. नंबर दिखाई देगा इसे सुरक्षित नोट कर लें, चाहें तो प्रिंट ले लें। अपना लॉगईन आई.डी. एवं पासवर्ड याद रखें। यह बाद में भी काम आयेंगे। इसे किसी अनधिकृत को न बताये। इसके पश्चात Proceed to fill application form में क्लिक करें।
4. इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगी उसमें आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा को भरना होगा। इसके पश्चात Login बटन पर क्लिक करें, बाएँ ओर fill/Edit application form menu पर दिखाई देगा उसे क्लिक करें। ऐसा करने पर आपके द्वारा प्री. डी.एल.एड.परीक्षा 2017 का फार्म भरते समय दी गई जानकारी (Personal Detail) के अनुसार पहले से भरा हुआ फार्म खुलेगा। इस फार्म में आपसे कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी जायेगी। मोबाइल नंबर, पिन कोड और ई-मेल आई.डी.आदि वांछित जानकारी भरने के पश्चात् Save & Proceed पर क्लिक करें।
5. इसके पश्चात आपको आरक्षण संबंधित जानकारी (Reservation Detail) दिखाई देगा। यदि कोई अभ्यर्थी डी.एल.एड. के डाटा बेस में नाम, जन्म तिथि, वर्ग, संवर्ग, आदि व्यक्तिगत जानकारी में त्रुटि होने के कारण आवेदन नहीं भर पा रहे हैं तो वह नाम व जन्मतिथि को छोड़कर वर्ग, संवर्ग, आदि व्यक्तिगत जानकारी में त्रुटि सुधार स्वयं कर सकता है। नाम व जन्मतिथि में त्रुटि होने पर संशोधन हेतु आवश्यक साक्ष्य के साथ एस.सी.ई.आर.टी.में उपस्थिति हो सकते हैं।

6. संवर्ग का लाभ लेने के लिए EXSR/FF/PH संवर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में तैयार प्रमाण पत्र का फोटोकापी (JPG/PDF Format में) ऑनलाइन फार्म के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। इसके बगैर वे संवर्ग में फार्म नहीं भर सकेगे।
7. प्रवेश परीक्षा की जानकारी में आपके प्री.डी.एल.एड. 2017 के प्राप्तांक एवं ओवर ऑल रैंक प्रदर्शित होगा इसमें आपको कुछ नहीं करना है।
8. शैक्षणिक योग्यता की जानकारी :- यदि आप 12वीं के आधार पर प्रवेश ले रहे हो तो रेडियो बटन में क्लिक करें। निर्धारित स्थान पर 12वीं में किए गए बोर्ड का नाम तथा 12वीं के प्राप्तांक एवं कुल अंक भरे। इसके पश्चात Save & Proceed पर क्लिक करें।
9. शैक्षणिक योग्यता की जानकारी में 12वीं से संबंधित जानकारी भरनी होगी, इसमें 12वीं के प्राप्तांक, संकाय की जानकारी भरने होंगे। निर्धारित स्थानों में वांछित जानकारी भरने के पश्चात Save & Proceed बटन को क्लिक करें। उसके बाद एक Popup Window खुलेगा जिसमें सूचना प्रदर्शित होगी कि आप प्री डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र है। OK बटन पर क्लिक करने पर आपसे पूछा जाएगा कि यदि आप भरी गई जानकारी को पुनः जांच करना चाहते हैं तो Cancel बटन पर क्लिक करें अन्यथा OK बटन पर क्लिक करें।

3.2 विकल्प चुनना :-

- I. विकल्प भरने के लिये Short list your Option पर क्लिक करें। इसके बाद आपको जिले का चुनाव कर (अन्य जिलों का चयन करने के लिए उस जिले को सेलेक्ट करें) पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के नाम वर्णमाला के क्रम Alphabetically में प्रदर्शित होंगे। जिस संस्था में प्रवेश लेने के लिये आप विकल्प भरना चाहते हैं उसका नाम चुने। इसके पश्चात् Update बटन पर क्लिक करें। अब दूसरे महाविद्यालय का विकल्प को भरना चाहते हैं, तो Add New Choice बटन पर क्लिक करें। और इसके पश्चात उपर दी गई प्रक्रिया दोहराएं। आप जितने चाहें उतनी संस्थाओं दे सकते हैं।(कम से कम एक संस्था का नाम देना अनिवार्य है परंतु आपको सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक संस्थाओं का नाम दें)। चुनी हुई संस्थाओं के नाम उपर प्रदर्शित हो जायेंगे। आप कितने ही संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं परंतु आबंटन केवल आपके प्री.डी.एल.एड. 2017 के एकीकृत (Overall Rank) मेरिटक्रम के आधार, महाविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता एवं आपके द्वारा दिये गये प्राथमिकता क्रम के आधार पर केवल एक ही संस्था के लिये होगा। इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद तब अंत में Save Choices में क्लिक करें।

- II. आपके द्वारा चुने हुए संस्थाओं की सूची दिखाई देगी। आपके द्वारा चुने हुये संस्थाओं के क्रम में ही आपको संस्था आबंटित होगी। अगर आप विकल्पों को बदलना चाहते है तो **Up, Down and Interchange choices** बटनों का प्रयोग कर सकते है। अगर आप किसी एक विकल्प को हटाना चाहते है तो **Delete** का बटन दबाये और चुने हुए सभी विकल्पों को हटाना चाहते है तो **Remove All Choices** बटन पर क्लिक करें इससे पुराने क्रम मिट जायेंगे। अब उपरोक्तानुसार ही प्रक्रिया कर पुनः सभी विकल्पों का नवीन क्रम दे दें। जब आप आश्वस्त हो जायें कि अब क्रम सही है तो अंत में **Save Choices** बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात अगली स्क्रीन पर **Fill Up/ Modify Choices** और **Print Form with Choices** दो बटन दिखाई देंगे। और आपके द्वारा भरी गई कुल विकल्पों की संख्या भी दिखाई दंगी। अगर आप अपने विकल्पों को बदलना या नये विकल्प जोड़ना चाहते है तो **Fill Up/ Modify choices** बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात आप अपने विकल्पों को बदल सकते है और नये विकल्प जोड़ सकते है।
- III. यदि आप शासकीय संस्थानों का विकल्प भरना चाहते है तो केवल उसी जिले में जहां से आपने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिस जिले के निवासी है उसी जिले में स्थित शासकीय संस्थानों के विकल्प ले सकते है। अन्य जिलों के शासकीय संस्थानों के लिए आप पात्र नहीं होंगे।
- IV. शासकीय संस्थानों में आबंटन जिलेवार आरक्षण अनुसार किया जायेगा।

3.3 निर्धारित शुल्क :- काउंसिलिंग सीट्स आबंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के लिए काउंसिलिंग शुल्क रु. 300/- की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि Online SBI के ई-पेमेंट के माध्यम से भरी जा सकती है। (जैसे : Debit Card, Credit Card, online बैंकिंग व E-Challan)। काउंसिलिंग शुल्क ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में (जैसे:- डी.डी.,चेक,नगद) स्वीकार्य नहीं होगा।

3.4 इसके पश्चात स्क्रीन पर बटन पर **Print Form with choices** क्लिक करें। इससे आपका फार्म प्रदर्शित होगा, जिसमें आपका फोटो और आपके द्वारा भरी गयी सभी जानकारियां एवं विकल्प भी रहेंगे। इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है। यदि प्रिंट लेने के पश्चात आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जातना है तो यह बदलाव अभी किया जा सकता है। यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फार्म स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं नये विकल्प फार्म का **Version No.** बदल जायेगा। **Version No. Application Form** के प्रथम पृष्ठ पर उपर बीच में दिया रहता है। निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं। परंतु इसके पश्चात विकल्प बदलने की

अनुमति नहीं रहेगी। जो विकल्प फार्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फार्म का अंतिम Version ही मान्य किया जायेगा। इसके पूर्व के विकल्प नहीं। प्रिंट लेने के बाद भी यदि आप विकल्प बदलना चाहते हैं और नये विकल्प जोड़ना चाहते हैं तो आप पुनः Home Page पर बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड डाले और लॉगइन बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात अगली स्क्रीन पर और दो बटन दिखाई देंगे और आपके द्वारा भरी गई कुल विकल्पों की संख्या भी दिखाई देगी। अगर आपको अपने विकल्पों को बदलना या नये विकल्प जोड़ना चाहते हैं तो Fillup/Modify choices बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात आप Add new Choice बटन पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं। और अगर आपने विकल्पों को बदला है या नये विकल्प जोड़े हैं तो पुनः उसका प्रिंट ले लें और इस Application Form जिसमें आपसे संबंधित व्यक्तिगत जानकारी एवं विकल्पों का क्रम रहेगा।

टीप :-

1. यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का क्रम भरा गया है वह उसके स्वयं के इच्छा एवं विवेक से भरा गया है। किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहने पर नहीं भरा गया है। सलाह दी जाती है कि विकल्प भरने से पहले अपना संस्था का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें। जिससे विकल्प भरते समय ज्यादा कठिनाई न हो एवं ज्यादा समय न लगे।
2. यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म में कोई त्रुटि होती है तो अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
4. दस्तावेज परीक्षण करना (Documents Verisfication) :- दस्तावेजों का प्रारंभिक परीक्षण MKCL द्वारा नहीं किया जायेगा। दस्तावेजों का प्रारंभिक व अंतिम परीक्षण आबंटित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
5. सीट्स आबंटन :- निश्चित तिथि को अभ्यर्थियों के द्वारा दिये गये महाविद्यालयों के विकल्प एवं महाविद्यालयों में उपलब्ध सीट्स एवं अभ्यर्थी के एकीकृत (Overall) मेरिट क्रम के आधार पर महाविद्यालयों में सीट्स आबंटन किया जायेगा।

5.1 आबंटन की सूचना निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

- (a) SMS के द्वारा सूचना दी जायेगी। SMS प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी SCERT या MKCL की नहीं होगी।
- (b) अभ्यर्थी अपने Loginमें जाकर अपना ID एवं पासवर्ड डालकर अपना आबंटन पत्र देख सकते हैं एवं उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इस आबंटन पत्र को लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें।

- (c) MKCL के वेबसाइट में अपना विकल्प फार्म क्रमांक/प्री.डी.एल.एड. 2017 का रोल नं. Submit कर भी आबंटन देख सकते हैं। चयन की किसी प्रकार की सूचना डाक के द्वारा नहीं दी जाएगी।
- (d) अस्थाई आबंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित तिथि तक इस आबंटन पत्र व क्रमांक 2.2 में दशार्थ गये दस्तावेजों की मूलप्रति व छायाप्रति के साथ आबंटित महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले सकते हैं।

5.2 चयनित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया :-

- a) अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय में अस्थाई आबंटन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में उपस्थित होना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी आबंटन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
- b) महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।

अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है तथा वे ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया फीस की रसीद अनिवार्यतः प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया फीस की रसीद नहीं होने की स्थिति में प्रवेश अमान्य माना जायेगा।

- c) महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लें। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- d) चयनित अभ्यर्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है तथा चयन निरस्त नहीं करता है तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अपने **Login** में जाकर अपना चयन एक बार निरस्त कर सकता है।
- e) प्रवेश लेने के पश्चात् महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।

6. द्वितीय/तृतीय चरण की काउंसलिंग –

प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिए द्वितीय चरण में वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जाएगी, जो प्रथम चरण में थी। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित हैं :-

6.1 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन के पश्चात् आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश न लेकर MKCL के साइट में जाकर स्वयं अपने Login ID में प्रवेश निरस्त कर चुका है :-

a. ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी पूर्व आबंटित महाविद्यालय बदलना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति है। परन्तु यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में MKCL के साइट में जाकर अपना प्रवेश निरस्त कराना होगा। ऐसा करने पर द्वितीय चरण के आबंटन हेतु प्रथम चरण में आबंटित महाविद्यालय शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विकल्प फार्म एवं निर्धारित राशि का बैंक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह अवसर अभ्यर्थी को एक ही बार दिया जाएगा।

ऐसे अभ्यर्थी जो अपने पूर्व आबंटित महाविद्यालय से संतुष्ट नहीं हैं या पूर्व में भरे गए विकल्पों में परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हें एक बार विकल्प परिवर्तन का मौका दिया जाएगा। यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को विकल्प फार्म भरने की तिथियों में MKCL के वेबसाइट में जाकर अपना Login ID में पासवर्ड Submit कर पुनः विकल्प फार्म में अपना विकल्प बदल सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी को शुल्क पुनः देना होगा। यह अवसर भी केवल एक बार दिया जायेगा।

6.2 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परन्तु आबंटन नहीं हुआ था :-


ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा। यदि विकल्प नहीं बदलना चाहते हैं तो उन्हें काउंसलिंग शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वमेव ही मेरिट के आधार पर आबंटन प्रक्रिया में शामिल होंगे।

6.3 ऐसे अभ्यर्थी जो किसी चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे वे बाद के चरणों में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को प्रथम चरण के निर्देशों का पालन करना होगा।

6.4 द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं तृतीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिए तृतीय चरण में वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जाएगी, जो द्वितीय चरण में थी।

टीप:-

1. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
2. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में सीटों का आरक्षण शासन के वर्तमान में लागू आरक्षण नियम के तहत होगा।
3. प्रवेश नियम व दिशानिर्देशों की विस्तृत जानकारी, आबंटन कार्यक्रम एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> पर उपलब्ध है।
4. 30 सितम्बर 2017 के पश्चात् सत्र 2017-18 हेतु किसी भी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया नहीं की जावेगी।



संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

12